-	Order Sheet	
Case NoBA 5.5. J.D Dun		
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
30/111)	आवेदक/आरोपी प्राप्ताओं रहीं की ओर से श्री ए० ७० तम्म निष्का राज्य अन्तर्गत धारा 488/439 जा०फो० अधिवक्ता ने एक जमानत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 488/439 जा०फो० का पेश किया । नकल संबंधित थाना प्रभारी की ओर भेजकर केश डायरी मय प्रतिवेदन बुलाया जाये/संबंधित अभिलेख बुलाया जावे ।	
	आवेदन विविध आपराधिक पंजी में दर्ज किया जावे । प्रकरण केश डायरी प्रतिवेदन / अभिलेख प्राप्ति / तर्क हेतु दिनांक को पेश हो । पी आर्य विश्लेष न्यायाधी (डकेती गोहद जिला- भिण्ड (म प्र	
01/02/20 12:45 To 01:00 Pm	25, 27 आयुध अधिनियम की केस डायरी प्राप्त। इस न्यायालय का मूल प्रकरण	
	कमांक—25 / 2016 डकैती पेश । धाना के अपराध कमांक 55 / 16 धारा—394, 397 भा0द0वि0 एवं 11 / 13 एम0पी0डी०व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के अपराध में आरोपी / आवेदक आकाश राठौर की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा—439 द0प्र0सं0 पर उभयपक्ष को सुना गया।	

आवेदक अधिवक्ता ने आरोपी/आवेदक आकाश राठौर का प्रथम जमानत आवेदनपत्र होना बताते हुए जमानत पर मुक्त किए जाने का निवेदन किया समर्थन में रामबाबू का शपथपत्र पेश किया है। इसलिए आरोपी/आवेदक के प्रथम जमानत आवेदनपत्र मानते

हुए उसका निराकरण किया जा रहा है।

अारोपी / आवेदक आकाश राठौर का कहना है, कि पुलिस ने आवेदक को विरोधियों की झूठी शिकायत के आधार पर डकैती की योजना के झूठे अपराध में गिरफ्तार कर लिया है, वह आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है और वह दि0—31 / 08 / 2016 से गिरफतारशुदा होकर न्यायिक अभिरक्षा में है। उसके घर पर कमाने वाला कोई नहीं है, यदि अधिक समय तक जेल में बंद रहा तो उसके परिवार के भूखों मरने की नौबत आ जायेगी। सहअभियुक्त मुकेश राठौर की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी जा चुकी है, उसका मामला उससे भिन्न नहीं है, इसलिये समानता के आधार पर उसे जमानत पर रिहा किया जावे, वह जमानत की शर्तों का पालन करेगा साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा उसे उचित प्रतिभूति पर छोडने का निवेदन किया।

जबिक ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपी/आवेदक आकाश राठौर द्वारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है। मामला डकैती अधिनियम से संबंधित होकर गंभीर प्रकृति का है, आवेदक/आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्ष्य को प्रभावित करेगा, अतः उसका जमानत आवेदनपत्र निरस्त

किए जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि फिरयादी मातादीन ने जिला अस्पताल मुरार ग्वालियर में अपने लड़के पीतम के साथ देहाती नालिसी लिखने बाले एस.आई. बाल्मीिक चौबे को घटना इस प्रकार बतायी कि वह सोढा बाबा के मंदिर पर करीब 3–4 साल से रहकर सिद्धबाबा की पूजा करता है। दि0–4 व 5/7/2016 की दरम्यानी रात वह मंदिर के आंगन में चारपाई डाकर सो रहा था, तभी रात को अंधेरे में दो व्यक्ति मंदिर की बाउण्ड्री में कूदे जिसकी आहट से वह

गीहद जिला- भिवद (स

1100 01

阿阿里

Order sheet [Contd]

<u>II-156</u> C.J.

case NO 60 54/17 375

ate of order or proceeding

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

signature of parties or pleaders where necessayry

जाग गया, फरियादी ने उक्त दोनों लोगों को टोका तो अंधेरे में दोनों व्यक्तियों ने सरियों से उसकी मारपीट की जिससे फरियादी की बांयी बाह में, दोनों पैरों में चोटें आयी और वह गिर पड़ा, तभी दोनों व्यक्ति फरियादी का मोबाइल सैमसंग कंपनी का छीन लिया। सुबह उसका लड़का पीतम आया जिसने उसे उठाया और देखा तो मंदिर से करीब 8–10 पीतल के घण्टे व दानपेटी से करीब 5000/—रूपये गायब थे, जिन्हें लूटकर ले गये। मारपीट करने वालों में फरियादी को एक व्यक्ति खनेता का पप्पू बाल्मीिक जो छरेटा में रामबेटी के घर रहता है, वैसा लगा।

उक्त देहाती नालिसी कमांक—0 / 2016 धारा—394 भा०द०वि०सहपठित 11, 13 डकैती अधिनियम के तहत लेखबद्ध की गयी। जो थाना एण्डोरी के मूल अपराध कमांक—55 / 2016 पर दर्ज की गयी।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में सहअभियुक्त मुकेश को माननीय उच्च न्यायालय के विविध आप. प्र.क.—577 / 2017 के माध्यम से आरोपी को जमानत की सुविधा प्रदान की गयी है ।

अभियोजन कथानक मुताबिक जो घटना बतायी गयी है उससे आरोपी/आवेदक आकाश एवं माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर रिहा आरोपी मुकेश का कृत्य भिन्न प्रतीत नहीं होता है, समानता रखता है। आरोपी/आवेदक आकाश दिनांक—01/09/2016 से न्यायिक अभिरक्षा में है। न्यायालय में अभियोगपत्र पेश हो चुका है, प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त आरोपी/आवेदक आकाश को समानता के सिद्धांत के अंतर्गत जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

बाद विचार आरोपी/आवेदक आकाश का जमानत आवेदनपत्र गुण दोषों पर टीका टिप्पणी किए बिना स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आरोपी/आवेदक आकाश की ओर से 50 हजार रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र धारा—437 (3) जा.फौ. में उपबंधित शर्तों सहित प्रस्तुत हो तो उसे जमानत पर छोडा जावे ।

> आदेश की प्रति मूल प्रकरण में पंजीबद्ध हो । आदेश की प्रति के साथ केस डायरी वापिस हो। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो।

> > (पी.सी.)(ओई)। / विशेष न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड जिला भिण्ड